Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

पितृसत्ता से समानता की ओर: जेंडर असमानता का ऐतिहासिक व समकालीन विश्लेषण

बलवन्त सिंह
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: * बलवन्त सिंह

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19592487

सारांश

यह शोध पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं के ऐतिहासिक विकास और उनके द्वारा निर्मित जेंडर असमानता का समकालीन परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जेंडर असमानता केवल जैविक अंतर पर आधारित नहीं है, बल्कि सामाजिक निर्माण, सत्ता-संरचना, पितृसत्तात्मक संबंधों और संस्थागत पूर्वाग्रहों का परिणाम है।

शोध का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार पितृसत्ता एक संरचनात्मक व्यवस्था के रूप में परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राज्य में लैंगिक भेदभाव को पुनरुत्पादित करती रही है तथा आधुनिक लोकतांत्रिक और मानवाधिकार आधारित ढांचों के बावजूद यह असमानता क्यों बनी हुई है? शोध में ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक तथा अतःविषयक पद्धति का प्रयोग किया गया है, जिसमें नारीवादी, समाजशास्त्रीय और राजनीतिक दृष्टिकोणों का समन्वय किया गया है। यह शोध जेंडर असमानता की ऐतिहासिक जड़ों, पितृसत्तात्मक संरचनाओं व आर्थिक विषमताओं के अध्ययन के साथ-साथ औपनिवेशिक व आधुनिक काल के उन महापुरुषों के योगदान को भी रेखांकित करता है, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियों को मिटाने व उन्हें जागृत कर शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया तथा वर्तमान में महिलाओं की शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता व कानूनी-नीतिगत हस्तक्षेपों का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्ययन बताता है कि शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व व रोजगार के क्षेत्र में काफी सुधार हुए हैं, लेकिन वेतन अंतर, घरेलू निर्णय निर्माण में विषमता और लैंगिक हिंसा जैसी समस्याएं अभी भी गंभीर रूप में विद्यमान हैं। शोध यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि जेंडर समानता की प्राप्ति हेतु विधायी सुधारों के साथ-साथ सामाजिक चेतना, संस्थागत परिवर्तन और जेंडर न्याय आधारित विकास मॉडल को अपनाना अनिवार्य है तथा डिजिटल जेंडर विभाजन, ट्रांसजेंडर अधिकारों, अवैतनिक देखभाल कार्य के बोझ को कम करने व जेंडर बजटिंग पर कार्य करने की आवश्यकता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 01-03-2026
- **Accepted:** 30-03-2026
- **Published:** 15-04-2026
- **MRR:**4(SP1); 2026: 31-36
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

बलवन्त सिंह. पितृसत्ता से समानता की ओर: जेंडर असमानता का ऐतिहासिक व समकालीन विश्लेषण. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(SP1):31-36.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

मूल शब्द: पितृसत्ता, नारीवाद, जेंडर न्याय, सामाजिक संरचना, तीन तलाक।

© 2026 बलवन्त सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक व सांस्कृतिक निर्माण है जो यह तय करता है कि पुरुष, महिला व ट्रांसजेंडर का व्यवहार, भूमिकाएं व अधिकार क्या होंगे? एन ओकली के अनुसार, सेक्स जैविक भेद है जबकि जेंडर सांस्कृतिक है यह पौरुष और स्त्रीत्व के सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। शुरू में, सेक्स (या लिंग) शब्द का उपयोग पुरुषों और महिलाओं में जैविक अंतर बताने के लिए किया जाता था। इसी तरह, जेंडर शब्द का उपयोग इसी बुनियादी अंतर से संबंधित व्यापक सांस्कृतिक अर्थ को बताने के लिए किया गया। नारीवाद द्वारा इन दोनों के बीच अंतर करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर के आधार पर ही महिलाओं की अधीनता को बुनियादी रूप से सही माना जाता रहा है। बहुत सारे दार्शनिक तर्कों के सहारे महिलाओं के दमन को प्रकृति-प्रदत मानते हुए इसे वैधता दी जाती रही है। माना जाता रहा है कि चूंकि ये स्थितियां प्राकृतिक हैं, इसलिए इनसे बचा नहीं जा सकता। लेकिन नारीवादियों ने इसे चुनौती दी क्योंकि यह अधीनता सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों, विचारधाराओं और संस्थाओं की उपज है, नारीवादी एजेंडा यह है कि इन मसलों को "राजनीतिक" दायरे में वापस लाया जाए, जिसका मतलब यह है कि इनमें बदलाव हो सकता है और इनमें बदलाव होना ही चाहिए।

अध्ययन की पृष्ठभूमि और महत्व

मानव समाज की संरचना प्रारंभ से ही सत्ता संबंधों पर आधारित रही है। जाति, वर्ग, नस्ल और जेंडर सभी सत्ता ढांचे के महत्वपूर्ण आयाम हैं। जेंडर असमानता केवल पुरुष और स्त्री के जैविक भेद पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक निर्माण, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक मान्यताओं, राजनीतिक नियंत्रण और आर्थिक स्वामित्व से गहराई से जुड़ा विमर्श है।

पितृसत्ता का मूल अर्थ है वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें सत्ता, संसाधन, निर्णय और सामाजिक मान्यता पुरुष केंद्रित होती है। इस व्यवस्था में स्त्री को द्वितीय लैंगिकता (second sex) के रूप में देखा जाता है। एक ऐसी पहचान जो पुरुष के संदर्भ में ही परिभाषित है।

सुसान मोलर ओकिन अपनी पुस्तक "जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली" में विचार व्यक्त करती है कि परिवार, शिक्षा और संस्कृति लड़कियों और लड़कों को अलग-अलग भूमिकाओं में ढ़ालते हैं नतीजा यह होता है कि महिलाएं पालन-पोषण, घरेलू कार्य करने वाली और पुरुष आर्थिक कमाने वाले बन जाते हैं।

प्रश्न यह है कि क्या आधुनिक समाज इस संरचना से मुक्त हो पाया है? क्या शिक्षा, कानून और विकास ने वास्तव में समानता स्थापित कर दी है? यही इस शोध का केंद्रीय विषय है।

2. साहित्य समीक्षा

पितृसत्ता की अवधारणा

सिल्विया वाल्बी पितृसत्ता को एक बहुतस्तरीय सामाजिक प्रणाली के रूप में परिभाषित करती है जो परिवार, कार्यस्थल, राज्य और सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती है। कैट मिलेट ने अपनी पुस्तक "सेक्सुअल पॉलिटिक्स"(1970) में पितृसत्तात्मक सरकार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह वह संस्था है जिसमें आधी जनसंख्या जो स्त्री है, वह बाकी आधी जनसंख्या जो पुरुष है के द्वारा नियंत्रित होती है। कैट मिलेट ने आधिपत्य और शक्ति द्वारा लैंगिक रिश्तों को बनाने के कार्य का भी अन्वेषण किया और पाया की राजनीति भी इनसे अनजान नहीं है और वह शक्ति और वंशानुक्रम द्वारा हर जगह गंभीरतापूर्वक चलाई जाती है। उन्होंने अलग-अलग धर्मों से उदाहरण देकर यह दिखाया कि कैसे धर्म पुरुषों के आधिपत्य को स्थापित करने और बनाए रखने में मदद करता है और महिलाओं की कमतर स्थिति को दर्शाता है। सिमोन द बोउआर ने अपने ग्रन्थ "द सेकंड सेक्स"(1949) में स्त्री की स्थिति को सामाजिक निर्माण बताते हुए यह स्पष्ट किया कि "महिलाएं जन्म नहीं लेती बल्कि उन्हें महिला बनाया जाता है"।

नारीवाद और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

उदारवादी नारीवाद कानूनी समानता और अवसरों पर बल देता है। नारीवाद के आधुनिक संस्करण के संदर्भ में यह माना जाता है की पहली पुस्तक मेरी वोल्सटानक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई "विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वूमेन"(1792) है, जिसमें प्रमुखता से इस बात पर बल दिया गया है कि स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष कानूनी व राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। मार्क्सवादी नारीवाद जेंडर असमानता को वर्ग और उत्पादन संबंधों से जोड़ता है। एंजेल्स अपनी कृति "द ओरिजिन ऑफ़ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट" में लिखते हैं कि निजी संपत्ति की संस्था के उदय और पुरुषों के हाथ में संपत्ति की स्थापना ने महिलाओं के अस्तित्व की पहचान को अंधेरे में धकेल दिया। एंजेल्स ने इसे महिलाओं की अंतिम हार के रूप में दिखाया है। मार्क्सवादी नारीवादी यह सोचते हैं कि पूंजीवाद के तहत वर्ग शोषण महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण है। वे महिलाओं की स्वतंत्रता हेतु पूंजीवादी व्यवस्था के खात्मे के लिए आंदोलन का आह्वान करते हैं। उत्तर-आधुनिक नारीवाद भाषा, ज्ञान और विमर्श में निहित पितृसत्ता को उजागर करता है। इन सभी दृष्टिकोणों का समन्वय इस शोध के सैद्धांतिक ढांचे का आधार है।

3. शोध के उद्देश्य

- पितृसत्ता की ऐतिहासिकता, उत्पत्ति और विकास का विश्लेषण करना।
- सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में जेंडर असमानता के विभिन्न रूपों की पहचान करना।
- आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्र में असमानता के कारकों का अध्ययन करना।
- जेंडर न्याय आधारित नीतिगत एवं सामाजिक हस्तक्षेपों की संभावनाओं को रेखांकित करना।
- समकालीन परिप्रेक्ष्य में जेंडर समानता की चुनौतियों का मूल्यांकन करना।

4. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध गुणात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है इसका उद्देश्य सांख्यिकीय मापन से अधिक जेंडर असमानता की सामाजिक

© 2026 बलवन्त सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

संरचनाओं, वैचारिक आधारों और ऐतिहासिक निरंतरताओं का गहन विश्लेषण करना है। इस शोध में ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक तथा वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से पितृसत्ता और जेंडर असमानता के विकासक्रम को समझा गया है जबकि विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा समकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में विद्यमान लैंगिक असमानताओं की व्याख्या की गई है।

डेटा के स्रोत- शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है इनमें प्रमुख रूप से-

- पुस्तकें, शोध पत्र, अकादमिक जर्नल।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टें।
- सरकारी दस्तावेज एवं संवैधानिक प्रावधान।
- नारीवादी विचारकों और समाजशास्त्रियों के सिद्धांत।

5. विश्लेषण एवं विवेचना

प्राचीन समाज और पितृसत्ता

प्राचीन सभ्यताओं में सामाजिक संरचनाएं स्पष्ट रूप से पितृसत्तात्मक थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं और युद्ध-प्रधान समाजों में पुरुषों को सार्वजनिक सत्ता प्राप्त थी। जबकि स्त्रियों की भूमिका घरेलू और प्रजनन तक सीमित कर दी गई थी। शिक्षा, संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकार पुरुषों के पक्ष में केंद्रित थे। प्रसिद्ध प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने लिखा है कि पुरुष बेहतर, मजबूत और श्रेष्ठ होता है इसलिए स्त्री पर शासन करता है। स्त्री त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण पुरुष है। उन्होंने स्त्री को "अनुत्पादक पुरुष" बताया। हालांकि पति और पत्नी एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं, वे बराबर नहीं होते। नम्र-चुप्पी स्त्री का आभूषण है। इसी प्रकार मनुस्मृति में मनु स्त्रियों को परिवार की सीमा के बाहर किसी कार्य को संपन्न करने की अनुमति नहीं देते। मनु की दृष्टि में स्त्री प्रकृति से ही मंदबुद्धि वाली और कमजोर प्राणी है, अतः मनुस्मृति में प्रतिपादित किया गया है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण और संरक्षण में रहना चाहिए तथा वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। इस प्रकार स्त्रियों के संबंध में मनु की धारणा अरस्तू की धारणा के समान है। मनु के दर्शन में स्त्रियों की स्थिति पिंजरे में बंद प्राणी के समान है।

मध्यकालीन समाज में जेंडर संरचना

मध्यकाल में धार्मिक और सांस्कृतिक रूढ़ियों ने पितृसत्ता को और अधिक सुदृढ़ किया। स्त्रियों की सामाजिक गतिशीलता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। विवाह और पारिवारिक सम्मान के नाम पर स्त्रियों के जीवन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। यह काल जेंडर असमानता के संस्थानीकरण का महत्वपूर्ण चरण रहा।

परिवर्तन की दिशा में उठते कदम

औपनिवेशिक काल में आधुनिक शिक्षा, कानून और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने पितृसत्ता पर प्रश्न चिह्न लगाया। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह निषेध जैसे प्रयास किए गए। किंतु औपनिवेशिक सत्ता-संरचना और राष्ट्रवादी विमर्श ने जेंडर संबंधी प्रश्नों को सीमित दायरे में ही रखा।

19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति-रिवाजों और मूल्य-मान्यताओं से संबंधित बहस-मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। राजा राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों की आलोचना करने लगे थे, फलस्वरुप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई।

प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथो का हवाला देकर इसे जायज ठहराया। अंग्रेज सरकार ने उनका सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया।

लड़कियां स्कूल जाने लगी

बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। बेगम रुकैया सखावत हुसैन इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने कोलकाता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। 1880 के दशक तक आते-आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिकाएं बन गई। पुणे में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्रीपुरुषतुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी तथा पुणे में एक विधवागृह की स्थापना की। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया।

आधुनिक समाज में पितृसत्ता और जेंडर असमानता

परिवार और निजी क्षेत्र

परिवार पितृसत्ता का प्राथमिक स्थल है जहां जेंडर भूमिकाओं का समाजीकरण होता है। घरेलू श्रम का असमान विभाजन, निर्णय-निर्माण में पुरुषों का प्रभुत्व और उत्तराधिकार में भेदभाव आधुनिक समाज में भी विद्यमान है।

शिक्षा और ज्ञान संरचनाएं

यद्यपि शिक्षा को समानता का माध्यम माना जाता है, फिर भी ज्ञान उत्पादन और पाठ्यक्रम संरचनाओं में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण

© 2026 बलवन्त सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

परिलक्षित होता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नेतृत्व क्षेत्रों में स्त्रियों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है।

अर्थव्यवस्था और श्रम
आर्थिक संरचनाओं में जेंडर असमानता वेतन अंतर, असुरक्षित कार्य स्थितियों और अवैतनिक देखभाल श्रम के रूप में प्रकट होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्त्रियों के श्रम का अवमूल्यन पितृसत्ता को आर्थिक आधार प्रदान करता है।

राज्य और राजनीति
राज्य को प्रायः तटस्थ माना जाता है किंतु वास्तविकता में राजनीतिक संरचनाएं भी पितृसत्तात्मक होती हैं। निर्णय-निर्माण की उच्च संस्थाओं में स्त्रियों की सीमित भागीदारी जेंडर असमानता को बनाए रखती है।

समकालीन परिप्रेक्ष्य: पितृसत्ता से समानता की ओर
समकालीन युग में मानवाधिकार, नारीवादी आंदोलन और अंतरराष्ट्रीय समझौतों ने जेंडर समानता के विमर्श को सशक्त किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं-

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, 1979: संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1979 में अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज है, जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति और परिवार में समान अधिकारों की गारंटी देता है।

बीजिंग घोषणा और कार्य योजना, 1995: यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक दूरदर्शी योजना है। और यह दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने और महिलाओं के सशक्तिकरण के समर्थन में राज्यों के प्रयासों का आकलन करने के लिए एक मानदंड है।

यूएन वूमेन की स्थापना, 2010: इसका मुख्य कार्य लैंगिक समानता और सभी महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिसके लिए यह सरकारों और नागरिक समाज के साथ मिलकर भेदभाव को खत्म करने, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने व आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य करती है, ताकि सभी के लिए एक समान दुनिया बनाई जा सके।

सतत् विकास लक्ष्य, 2015: सतत् विकास लक्ष्यों में जेंडर समानता को सतत् विकास की अनिवार्य शर्त मानना महत्वपूर्ण कदम है।

भारत में जेंडर समानता व महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
यह अधिनियम लिंग आधारित वेतन भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है।

73 वां और 74 वां संविधान संशोधन, 1992
73वें और 74वें संविधान संशोधन ने भारत में महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। जिसने पंचायती राज और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित की। जिससे जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, उन्हें निर्णय लेने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर मिला। जिससे वे प्रशासक और नेता के रूप में सशक्त हुई।

पीएनडीटी अधिनियम, 1994
यह अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या और अल्ट्रासाउंड जैसे प्रसवपूर्व निदान उपकरणों के दुरुपयोग को रोकता है। इसका मुख्य उद्देश्य लिंग भेद को रोकना और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देना है।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
यह अधिनियम महिलाओं को घर-परिवार में होने वाली शारीरिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्हें साझा घर में रहने का अधिकार और मौद्रिक राहत जैसे कानूनी उपाय देता है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना और प्रतिबंधित करना। साथ ही महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य स्थल बनाना तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए एक तंत्र की स्थापित करना है।

तीन तलाक से मुक्ति
अगस्त, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद संसद ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों व उन्हें तीन तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए "मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम", 2019 पारित किया जो तीन तलाक को अवैध और शून्य घोषित करता है। यह कानून मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण और बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार देता है।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध हटा
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक बताते हुए हटाने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 (समानता और पूजा की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है और यह भेदभावपूर्ण है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाता है तथा उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकता है।

© 2026 बलवन्त सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023

राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक समानता लाने और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक अवसर देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई आरक्षण प्रदान करता है। आरक्षित सीटों में एक तिहाई सीटें एससी/एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह अधिनियम जनगणना व परिसीमन के बाद लागु होगा।

इसे भारत के अमृतकाल में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

इसके अलावा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सुरक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, मिशन शक्ति, मिशन इन्द्रधनुष व बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान शुरू किए गए तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पुत्री जन्म पर विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं संचालित हैं।

साथ ही पारंपरिक समारोह में बालिकाओं के जन्म का उत्सव मनाने व कुआं पूजन जैसी सामाजिक प्रथाएं शुरू की गई हैं।

लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद लैंगिक समानता अभी भी दूर की कोड़ी नजर आ रही है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 123 साल लगेंगे। इस रिपोर्ट में भारत 148 देशों में 131 वें स्थान पर रहा जो 2024 के 129 वें स्थान से दो पायदान नीचे है, हालांकि भारत का लैंगिक समानता स्कोर 0.644 (64.4%) तक सुधरा है।

यूएन वूमेन की रिपोर्टें जैसे द जेंडर स्नैपशॉट 2025 और बीजिंग+30 इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लैंगिक समानता एक वैश्विक संकट है, जिसमें धीमी प्रगति और महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, रिपोर्टों के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

गरीबी- यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो 2030 तक 351 मिलियन से अधिक महिलाएं और लड़कियां अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर सकती हैं।

हिंसा- वैश्विक स्तर पर, 15-49 वर्ष आयु की आठ में से एक महिला पिछले 12 महीनों में अपने वर्तमान या पूर्व साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार हुई है (12.5%)।

आर्थिक असमानता- समान काम के लिए महिलाएं पुरुषों द्वारा अर्जित प्रत्येक डॉलर के मुकाबले 77 सेंट कमाती हैं, उच्च बेरोजगारी दर का सामना करती हैं और पुरुषों की तुलना में 2.5 गुना अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं।

पूर्ण और समान निर्णय लेने की शक्ति- दुनिया भर में, जीवन के हर क्षेत्र में निर्णय लेने की शक्ति अभी भी पुरुषों के हाथों में है। 1 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 27.2% थी व स्थानीय सरकारों में उनका प्रतिनिधित्व 2024 में 35.5% था। प्रबंधकीय पदों में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 30% है, जो काफी कम है। 107 देशों में कभी भी कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं रही है।

कानूनी कमियां- महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले केवल 64% कानूनी अधिकार प्राप्त हैं और 54% देशों में विवाह/तलाक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कानून का अभाव है।

भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि- भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पीएलएफएस के आंकड़ों के अनुसार महिला रोजगार दर 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है(हालांकि पुरुष कार्य बल भागीदारी 78.8% से अभी भी काफी कम है)। इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% हो गई है, जो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

भारत में अभी भी संसद और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व काफी कम है। संसद में महिला प्रतिनिधित्व लगभग 14.72% है जबकि विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व लगभग 8% है। हालांकि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का विधेयक पारित कर दिया है, पर अभी तक लागु नहीं हुआ है।

भारत के संदर्भ में यूएन वूमेन ने कहा है की हाल के वर्षों में लैंगिक समानता के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही कहा है कि इस दिशा में निवेश बढ़ाने और बुनियादी महिला नेतृत्व पर ध्यान देने की बावजूद सामाजिक मान्यताएं, सीमित कार्य बल भागीदारी और सुरक्षा मानकों में गैप पूर्ण लैंगिक समानता में रुकावट डालते हैं।

शोध निष्कर्ष

- **पितृसत्ता की ऐतिहासिक निरंतरता:** शोध से यह स्पष्ट होता है कि पितृसत्ता केवल एक सांस्कृतिक परंपरा नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ सामाजिक संरचना है। जिसने विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों में स्वयं को नए रूपों में पुनर्संरचित किया है।
- **जेंडर असमानता का संरचनात्मक स्वरूप:** जेंडर असमानता व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का परिणाम न होकर परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राज्य जैसी सामाजिक संरचनाओं में अंतर्निहित संरचनात्मक असमानताओं से उत्पन्न होती है।
- **कानूनी समानता और सामाजिक यथार्थ के बीच अंतर:** संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बावजूद व्यावहारिक स्तर पर जेंडर समानता की प्राप्ति नहीं हो सकी है, जिससे नीति और क्रियान्वयन के बीच गहरी खाई उजागर होती है।
- **आर्थिक संरचनाओं में लैंगिक भेदभाव:** श्रम विभाजन, वेतन अंतर और अवैतनिक देखभाल कार्य के माध्यम से पितृसत्ता आर्थिक क्षेत्र में भी जेंडर असमानता को बनाए रखती है।
- **समकालीन युग में असमानता के नए रूप:** वैश्वीकरण और तकनीकी विकास ने अवसरों के साथ-साथ डिजिटल डिवाइड, साइबर हिंसा और असुरक्षित रोजगार जैसे नए जेंडर आधारित जोखिम पैदा किए हैं।

6. निष्कर्ष

पितृसत्ता से समानता की यात्रा एक दीर्घ, जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। इतिहास बताता है कि पितृसत्ता केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि मानसिकता, भाषा, संस्कृति और संस्थागत

© 2026 बलवन्त सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ढांचों का संयुक्त तंत्र है। समकालीन समाज में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है स्त्रियों की शिक्षा, रोजगार, आवाज, कानूनी अधिकार और सामाजिक उपस्थिति में वृद्धि हुई है परंतु यह कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि समानता हासिल हो चुकी है। समानता का प्रश्न केवल अधिकारों का नहीं, बल्कि गरिमा, मान्यता, अवसर, सुरक्षा और स्वायत्तता का है, जब तक स्त्री अपने शरीर, जीवन, संसाधन, निर्णय और सपनों पर पूर्ण अधिकार नहीं पाती, तब तक यह यात्रा जारी रहेगी।

पितृसत्ता की जकड़न ढीली जरूर हुई है, पर टूटने में अभी और समय, संघर्ष, संवाद और संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है।

सुसान मोलर ओकिन का यह तर्क समीचीन प्रतीत होता है कि "न्याय का हर वह सिद्धांत अधूरा है, जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है"। यदि महिला घर में बराबरी से निर्णय नहीं ले सकती तो बाहर राजनीतिक समानता का दावा झूठा है। इसलिए परिवार का पुनर्गठन आवश्यक है। घरेलू काम और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी महिला और पुरुष दोनों में बांटी जानी चाहिए। महिलाओं को केवल मां और पत्नी की पहचान में कैद न रखकर स्वतंत्र नागरिक और पेशेवर मान्यता दी जानी चाहिए तभी जेंडर समानता की दिशा में वास्तविक प्रगति हो सकेगी।

संदर्भ

1. Beauvoir S de. The Second Sex. Vintage Books; 2011.
2. Okin SM. Justice, Gender and the Family. New York: Basic Books; 1989.
3. Walby S. Theorizing Patriarchy. Oxford: Basil Blackwell; 1990.
4. Millett K. Sexual Politics. New York: Doubleday; 1970.
5. Sen A. Many Faces of Gender Inequality. New Delhi: Penguin; 2001.
6. Oakley A. Sex, Gender and Society. London: Maurice Temple Smith; 1972.
7. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge; 1990.
8. Bhasin K. What is Patriarchy? New Delhi: Women Unlimited; 2006.https://www.indiacode.nic.in/
9. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/
10. https://www.unwomen.org/en/resources/gender-snapshot
11. https://labour.gov.in/sites/default/files/pib2097939.pdf
12. https://sansad.in/poi/nation-legislatures
13. https://share.google/FV5xXDB1emqcRmZix
14. https://www.un.org/sustainabledevelopment/
15. https://www.unwomen.org/en/resources/gender-snapshot/theme
16. https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcdf1b99b5d8f/uploads/2024/07/20240716890312078.pdf
17. https://www.ndtv.com/india-news/women-representation-in-parliament-most-state-legislatures-below-15-data-3597838?utm_source=chatgpt.com
18. https://ncert.nic.in/textbook/pdf/hhss107.pdf
19. https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149235&reg=3&lang=2
20. https://api.sci.gov.in/supremecourt/2006/18956/18956_2006_Judgement_28-Sep-2018.pdf
21. https://www.unescwa.org/beijing
22. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm
23. फडिया, बी. एल. व फड़िया, कुलदीप. (2023). समकालीन राजनीतिक सिद्धांत. साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
24. दाधीच, नरेश. (2015). समकालीन राजनीतिक सिद्धांत: एक परिचय. रावत पब्लिकेशन, जयपुर
25. जैन, पुखराज (Code:011). प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक. साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
26. मुखर्जी, सुब्रत व रामास्वामी, सुशीला. (2000). पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन. हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

Disclaimer: The views, opinions, statements, and conclusions expressed in the papers, abstracts, presentations, and other scholarly contributions included in this conference are solely those of the respective authors. The organisers and publisher shall not be held responsible for any loss, harm, damage, or consequences — direct or indirect — arising from the use, application, or interpretation of any information, data, or findings published or presented in this conference. All responsibility for the originality, authenticity, ethical compliance, and correctness of the content lies entirely with the respective authors.

© 2026 बलवन्त सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/